डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 09/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमआईएएल/डीएफ और एमडीएफ/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 09/2023-24

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 14 जून, 2023

विषय: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य और मेट्रो संपर्कता परियोजना के लिए विकास शुल्क (डीएफ) लगाने के मामले के संबंध में

1. **विकास शुल्क और मेट्रो विकास शुल्क (डीएफ और एमडीएफ):**

क. **परियोजना संबंधी वित्तीय व्यवस्था के लिए विकास शुल्क (डीएफ) :** नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 27 फरवरी, 2009 के पत्र संख्या एवी 24011/001/2009-एडी द्वारा सीएसआई हवाईअड्डा, मुम्बई में तदर्थ आधार पर वसूली योग्य विकास शुल्क की दर निर्धारित की। तत्पश्चात भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, ऐरा की स्थापना होने पर दिनांक 12.12.2012 के आदेश संख्या 29/2012-13 द्वारा ऐरा ने सीएसआई हवाईअड्डा, मुम्बई में यातायात के पूर्वानुमान के आधार पर 3845.50 करोड़ रूपए के डीएफ का बिल बनाने की अनुमति के साथ प्रति अंतरदेशीय यात्री 100.00 रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600.00 की दर से डीएफ की वसूली की मंजूरी दी, जिसमें से 2515.00 करोड़ रूपए शेष डीएफ के रूप में और 1330.50 करोड़ रूपए की शेष राशि ब्याज के रूप में बताई।

ख **मेट्रो संपर्कता परियोजना के लिए मेट्रो विकास शुल्क (एमडीएफ)** : ऐरा ने दिनांक 28.01.2016 के आदेश संख्या 46/2015-16 द्वारा 518.00 करोड़ रूपए की लागत वाली मेट्रो संपर्कता योजना के निधियन के लिए मुम्बई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रति अंतरदेशीय यात्री 20.00 रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 120.00 रूपए के एमडीएफ की वसूली के लिए भी मंजूरी दी।

2. डीएफ और एमडीएफ की ऊपर बताई गई दरों को ऐरा के दिनांक 28.01.2016 के आदेश संख्या 46/2015-16 के निर्णय संख्या 7.क. द्वारा सीएसएमआई हवाईअड्डे पर प्रति अंतरदेशीय यात्री 120/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 720/- रूपए के संयुक्त विकास शुल्क में मिला दिया गया। प्रारंभ में यातायात के पूर्वानुमानों के आधार पर ऐरा ने 31.03.2021 तक संग्रहित किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

3. डीएफ/एमडीएफ के प्रबंधन के लिए (डीएफ नियम, 2011 में निर्धारित किए अनुसार) नोडल एंजेसी के रूप में मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल) ने एएआई द्वारा उपलब्ध किए गए और एएआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से लेखापरीक्षित इनपुट के आधार पर, कोविड-19 के प्रभाव की पृष्ठभूमि में पूर्वानुमान किए गए यातायात की तुलना में वास्तविक यातायात कम होने के कारण डीएफ/एमडीएफ की वसूली

कम होने की वजह से अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया तो ऐरा ने निम्नलिखित आदेशों के अनुसार समय-समय पर वसूली की अवधि बढ़ाई :

क दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 66/2020-21 द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में 31.03.2022 तक प्रति अंतरदेशीय यात्री 120/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 720/-रूपए की दर से विकास शुल्क वसूल करना जारी रखने की अनुमति दी गई।

ख दिनांक 28.03.2022 के आदेश संख्या 49/2022-22 द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में 30.06.2022 तक प्रति अंतरदेशीय यात्री 120/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 720/-रूपए की दर से विकास शुल्क वसूल करना जारी रखने की अनुमति दी गई।

ग दिनांक 30.06.2022 के आदेश संख्या 09/2022-23 द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में 31.03.2023 तक प्रति अंतरदेशीय यात्री 120/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 720/-रूपए की दर से विकास शुल्क वसूल करना जारी रखने की अनुमति दी गई।

घ 02.03.2023 से मेट्रो विकास शुल्क बंद होने के उपरांत छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई को 30.06.2023 तक प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/-रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क वसूल करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी (संदर्भ: दिनांक 29.03.2023 का आदेश संख्या 43/2022-23) ।

उपर्युक्त आदेश में ऐरा ने दिनांक 23.12.2022 के पत्र द्वारा मांग किए अनुसार इस पत्र में निहित स्पष्टीकरणों को संज्ञान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण ब्यौरा/सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

यह भी सूचित किया गया था कि एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली विस्तृत सूचना के आधार पर इस संबंध में ऐरा द्वारा यथासमय उपयुक्त कारवाई की जाएगी।

4. संक्षिप्तता के कारण ऊपर उल्लिखित आदेशों के अंतर्गत बताए अनुसार अवधि बढ़ाने के विस्तृत विश्लेषण और औचित्य को यहां पुन: प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 02.08.2011 को अधिसूचित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्रमुख हवाईअड्डे) विकास शुल्क नियम, 2011 में अन्य बातों के साथ-साथ एएआई के लिए यह जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि वह विकास शुल्क की प्राप्त राशियों को मॉनीटर और विनियमित करें तथा उपयोग करें।

6. एएआई ने दिनांक 24.05.2023 के पत्र संख्या एएआई/एमसी/मायल-06/डीएफ-ए/2022/931और दिनांक 09.06.2023 के पत्र संख्या एएआई /एमसी/मायल-06 डीएफ-ए/2022/931 द्वारा डीएफ के लिए एएआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् रूप से परीक्षित निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया है:

क. मायल द्वारा मई, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक डीएफ के लिए तैयार किया गया बिल : रूपए 176.92 करोड़ रूपए

ख. मायल द्वारा जनवरी, 2013 से जनवरी, 2023 तक डीएफ के लिए तैयार किया बिल: रूपए 3733.84 करोड़ रूपए

ग. 31.01.2023 को बिल में दर्शाए जाने वाले विकास शुल्क की शेष राशि: 488.30 करोड़ रूपए

इसके अतिरिक्त एएआई ने उपुर्यक्त पत्र में यह सूचित किया है कि स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने अचल परिसंपत्ति रजिस्टर के आधार पर और लेखा परिक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार बताया है कि डीएफ परिसंपत्ति सकल ब्लॉक 3400 करोड़ रूपए है।

7. मायल ने नीचे बताए अनुसार फरवरी, 2023 से मई, 2023 तक वास्तविक डीएफ के माह-वार बिल की राशि का ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

माह	**डीएफ बिलिंग (करोड़ रूपयों में)**
फरवरी 2023	47.47
मार्च 2023	46.49
अप्रैल 2023	35.43
मई 2023	45.02
कुल	174.41
फरवरी 2023 से मई, 2023 तक बिल की औसत राशि	43.60

8. **प्राधिकरण की टिप्पणियां :**

(i) प्राधिकरण एएआई द्वारा उपलब्ध की गई सूचना (देखें उपर्युक्त पैरा 6) के आधार पर यह नोट करता है कि 31.01.2023 को बिल बनाए जाने वाले विकास शुल्क की शेष राशि 488.30 करोड़ रूपए है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त पैरा 7 के अनुसार फरवरी, 2023 से मई, 2023 तक बिल बनाई जाने वाली विकास शुल्क की औसत राशि 43.60 करोड़ रूपए है।

(ii) प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि मायल ने इस प्रयोजन के लिए ऋण लिया हुआ है जिस पर बैंक (कों) द्वारा शेष राशि को कम किए जाने के आधार पर ब्याज वसूला जा रहा है।

(iii) प्राधिकरण ने विकास शुल्क की शेष राशि की वसूली की संभावित अवधि का पता लगाने के लिए एएआई/मायल द्वारा उपलब्ध किए गए तथ्यों और विवरणों को तथा मुम्बई हवाईअड्डे पर स्थित यात्री यातायात की वर्तमान प्रवृतियों को संज्ञान में लिया है। इसी के आधार पर यह आशा की जाती है कि शेष विकास शुल्क और लागू ब्याज को वसूल करने में लगभग 7 माह लग सकते हैं, अर्थात 31.12.2023 तक वसूली की जाएगी।

अत: प्राधिकरण विकास शुल्क संग्रहित करने की अवधि 31.12.2023 तक बढ़ाने का निर्णय लेता है।

(iv) प्राधिकरण एएआई को यह भी निदेश देता है कि डीएफ और एमडीएफ खाते (लेखा) को 30.06.2024 को या इससे पहले समाधान कर बंद कर दें और आदेश संख्या 46/2015-16 के निर्णय संख्या 8ख के अनुसार विकास शुल्क की अधिक वसूली या कम वसूली का आकलन करें। कम वसूली (यदि कोई हो) मायल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय उपयुक्त तरीके से समायोजित की जाएगी।

(v) प्राधिकरण एएआई के पत्र से यह भी नोट करता है कि उन्होंने स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिसंपत्ति विवरण संलग्न किया है। एएआई की संयुक्त उद्यम कंपनी होने के कारण यह माना जाता है कि एएआई ने मायल का आवश्यक सत्यापन कर लिया है।

आदेश:

ऐरा अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22ए के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(बी) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

i. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई को **31.12.2023** तक जारी टिकटों के लिए प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क संग्रहित करने की अनुमति दी जाती।

ii. चूंकि टिकट बुक करने की तारीख और यात्रा करने की तारीख के बीच काफी समय अंतराल होता है, इसलिए मायल को यात्रियों से वास्तव में संग्रहित की गई राशि के आधार पर विकास शुल्क के लिए बिल तैयार करने का प्राधिकार दिया जाता है।

iii. ऐरा के दिनांक 29.03.2023 के आदेश संख्या 43/2022-23 के अनुसार मेट्रो विकास शुल्क (एमडीएम) 02.03.2023 से बंद कर दिया गया था। 02.03.2023 और आदेश लागू होने की तारीख के बीच समय अंतराल होने के कारण मायल को एमडीएफ की वास्तव में संग्रहित राशि के आधार पर एमडीएफ के लिए बिल बनाने का प्राधिकार दिया जाता है।

iv. दिनांक 28.01.2016 के आदेश संख्या 46/2015-16 के निर्णय संख्या 2क के अनुसार मेट्रो संपर्कता परियोजना की लागत 518 करोड़ रूपए तक सीमित कर दी गई थी। तदनुसार एएआई को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एस्क्रो खाते से धनराशि जारी करने का निदेश दिया जाता है।

v. विकास शुल्क की वसूली 31.12.2023 (24.00 बजे) से स्वत: ही बंद हो जाएगी।

vi. एस्क्रो खाते से डीएफ नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 02 अगस्त, 2011 के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्रमुख हवाईअड्डे) विकास शुल्क नियमावली, 2011 के अनुसार जारी किया जाना चाहिए।

vii. एएआई को निदेश दिया जाता है कि वह 30.06.2024 तक खाते का समाधान कर दें और बंद कर दें तथा आदेश संख्या 46/2015-16 के निर्णय संख्या 8ख के अनुसार डीएफ/एमडीएफ की अधिक वसूली या कम वसूली को ज्ञात करें। कम वसूली (यदि कोई हो) मायल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय ऐरा द्वारा उपयुक्त रूप से समायोजित की जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

श्री प्रकाश तुलसियानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल1,
सांताक्रूज़ (पूर्व) मुम्बई - 400 099.

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110 003.
(ii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110 003.